न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व विविध :: 88/2017

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00471

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमंती पूर्वी सिंघवी पत्नी संदीप, जाति जैन, निवासी ग्राम रानी कलां, तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल निवासी 1703/बी शान्ति कमल बिल्डिंग, वोल्टाज हाउस के सामने, डा. बी.ए. रोड़ चिंगपोगली, ईस्ट मुम्बई		1. सचिव, ऊर्जा विभाग जरिये राजस्थान सरकार जयपुर 2. मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जोनल मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी), न्यू पावर हाउस, जोधपुर 3. मैसर्स राज. गम प्रा.लि. द्वारा मैनेजर ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर, जिला पाली 4. तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 16 भारतीय पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्ट 1885

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह मेड़तिया

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 20.03.2024

अधिवक्ता प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 16 भारतीय पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत ग्राम रानी खुर्द, तहसील रानी की कृषि सीमा में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी एवं आधिपत्य कृषि भूमि खसरा संख्या 172 की 03 बीघा भूमि में विद्युत लाईन निकालने के प्रतिकर राशि का भुगतान कराने के लिए अप्रार्थीगण को निर्देशित कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 2358/2014 के निर्देशानुसार पेश की है। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 172 क्षेत्रफल 0.8800 हैक्टेयर ग्राम रानी खुर्द की कृषि सीमा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 02 ने 33 किलोवाट डी सी लाईन के पोल स्थापित करने के लिए अप्रार्थी संख्या 03 के सहयोग से प्रार्थीयां की अनुमति लिए बगैर ग्राम रानी खुर्द की कृषि सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 172 की लगभग 03 बीघा भूमि में पोल स्थापित किये और उसके माध्यम से 33 किलोवाट की विद्युत लाईन निकाल ली। परिणाम स्वरूप प्रार्थीया की 03 बीघा भूमि बेकार हो गयी जिस कारण जैर आराजी कृषि योग्य नहीं रही है व आर्थिक हानि हुई है। प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में इस संबंध में एक रिट याचिका संख्या 2358/2014 बअनवान पूर्वी बनाम राज. सरकार व अन्य प्रस्तुत की थी। उक्त रिट याचिका लम्बित रहते इसी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ में डीबी दीवानी विशेष अपील संख्या 586/14 बअनवान मदन दान व अन्य बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम व अन्य में दिनांक 21.04.2014 को यह निर्णय पारित हो गया था। इस निर्णय की दृष्टि से प्रार्थीयां अपनी रिट याचिका विड्रॉल कर अपनी भूमि का मुआवजा लेने के लिए विधिक कार्यवाही जिला कलक्टर पाली में पेश करने की अनुमति के

साथ विड्रॉल की। इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थीया को इस न्यायालय में अपनी कृषि भूमि के प्रतिकर हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की, उसी के आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर नियमानुसार प्रतिकर राशि भुगतान करने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दौराने बहस प्रार्थीया की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित 33 के.वी. डी.सी. लाईन अप्रार्थी संख्या 03 मैसर्स राज. गम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित विद्युत को अप्रार्थी संख्या 02 को भेजने बाबत् अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा निकाली गई है। उपरोक्त विद्युत लाईन व टॉवर अप्रार्थी संख्या 02 के नहीं है। उक्त विद्युत लाईन लोकहित में विद्युत उत्पादन कर विद्युत स्टेशन पर पहुंचाने बाबत् लगाई गई है। जिससे आम जन को विद्युत की आपूर्ति हो सके तथा विद्युत उत्पादन कर विद्युत स्टेशन पर पहुंचाने बाबत् लगाई गई है। जिससे आम जन को विद्युत की आपूर्ति हो सके तथा विद्युत लाईन व विद्युत टॉवर व पॉल अप्रार्थी संख्या 01 राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 26.08.2013 के अनुसार स्थापित की गई है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 व 164 के अधीन स्वीकृत दिनांक 13.08.2013 को अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा विद्युत पोल व टॉवर लगाकर विद्युत लाईन लगाई गई है। प्रार्थी की भूमि का किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया गया है। उपरोक्त भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जेकाश्त में है। उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा कभी भी कृषि कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.08.2013 के अधीन ही विद्युत पोल व टॉवर स्थापित किये जा रहे है। उक्त कार्य अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार के निर्देशानुसार तथा अप्रार्थी संख्या 02 की देख रेख में ही किया जा रहा था, जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका दाखिल की थी, लेकिन रिट याचिका में प्रार्थीया को कोई रिलीफ नहीं मिलने की आशंका के कारण विड्रॉल कर ली गई थी। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया है जो निर्णय अधिग्रहण में मामले में दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है इस वजह से उक्त निर्णय जैर प्रार्थना–पत्र पर लागू नहीं होता। अतः जैर प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में हम अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा किये गये लिखित अभिकथनों, बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 16 भारतीय पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत पेश किया है जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है व इसके संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीया को अपने पक्ष के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश करने बाबत् भी पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जैर प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीयां द्वारा भूमि का प्रतिकर चाहा है जो कि भूमि अवाप्ति से संबंधित है व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय भी भूमि अवाप्ति से संबंधित है जबकि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत पेश किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बिना विधिक आधारों एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला न्यायालय पाली (राजस्थान)